न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 36 / 2017 / जिला–अजमेर (2017 / 00060)

1. शिवलाल पुत्र छोटू पुत्र गंभीरा
2. भागचन्द पुत्र छोटू पुत्र गंभीरा
   दोनों जाति ढोली, निवासी ग्राम सेदरिया, ग्राम पंचायत छछुन्दरा, तहसील भिनाय जिला अजमेर।

–––अपीलांट्स

बनाम

1. बादामी बेवा गोरधन
2. पृथवीराज पुत्र गोरधन
3. अन्ना पुत्र काना (मृतक)
4. गंभीरा पुत्र जोरा (मृतक)
5. कालू पुत्र जोरा (मृतक)
6. गोरधन पुत्र करमा (मृतक)
7. मोहन पुत्र करमा (मृतक)
   समस्त जाति ढोली निवासी ग्राम सेदरिया, ग्राम पंचायत छछुन्दरा, तहसील भिनाय हाल मुकाम माखुपुरा जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर।

––––रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय दिनांक 25–06–2016
प्रकरण संख्या 02 / 2016 बउनवान श्री अन्ना व अन्य बनाम
राज0 सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री ईश्वर देवड़ा अभिभाषक, अपीलांट्स
2. श्री पृथ्वीराज भाटी, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांकः– 31.1.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 7 (जिसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 लगायत 7 मृतक है) की ओर से उपखण्ड अधिकारी,

भिनाय के समक्ष दिनांक 26–11–2014 को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट्स की ग्राम सेदरिया तहसील भिनाय जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि जिसकी खातेदारी अन्ना पुत्र काना कौम जाचक की होकर विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1032, 1810, 1814, 1843, 1844, 1888, 1889, 2203, 2238 है जिसमें प्रार्थीगण की सही व वास्तविक कौम जाचक अंकित कर रखी है जिसकी जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या नया 6, 124, 5, 4, 7, 3 है, के सभी खातेदार की जाति ढोली के स्थान पर भाट अंकित करना है। साथ ही यह भी कथन किया कि ग्राम सेदरिया तहसील भिनाय में स्थित कृषि भूमि जिसका खसरा नम्बर 2182, 2186, 2187, 2188, 2182/2578, 2183, 2186/2579, 1896, 1896/2372, 2181/2509 में प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड में कौम जाचक के स्थान पर ढोली अंकित कर दी गई है जो त्रुटि राजस्व रिकार्ड में संबंधित पटवारी से सहवन से हुई है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने पत्रावली ग्राम पंचायत सोबड़ी शिविर में तलब कर पटवारी हलका की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत छछुन्दरा के प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र व शांति देवी, भगवती प्रसाद, पृथवीराज, मांगीलाल, लक्ष्मीनारायण व गोपीलाल के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने निर्णय दिनांक 25–6–2016 द्वारा ग्राम सेदरिया की जमाबंदी सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या 4, 5, 6, 7 में अंकित रेस्पोन्डेन्ट्स की जाति ढोली के स्थान पर जाचक अंकित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों को पूर्णतया दरकिनार करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजर अन्दाज कर दिया कि उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदनकर्ता अन्ना, गंभीरा, कालू, गोरधन, मोहन सभी मृतक व्यक्ति है जिनके द्वारा कानूनन कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता एव ंना ही ऐसे मृतक व्यक्तियों के नाम से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश ही पारित किया जा सकता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच किये केवल मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को लाभ पहुंचाने की नियत से सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–2016 की अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी।

अपीलांट्स को सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा जाति परिवर्तन की आड़ में विवादग्रस्त भूमि का विक्रय गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को करने व उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने पर हुई। तत्पश्चात अपीलांट्स ने उक्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 14–6–2017 को नकल प्राप्त हुई तथा अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर अविलम्ब अपील तैयार कर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना, कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलान्ट ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि वर्तमान अपीलांट जो कि मृतक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 गंभीरा पुत्र जोरा के पुत्र छोटू के पुत्र है तथा पूर्वजों के समय से ही उनकी जाति ढोली है तथा वर्तमान में भी वह ढोली जाति के होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। उनके व उनके पूर्वजों द्वारा कभी जाति परिवर्तन हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बादामी व पृथ्वीराज ने अवैधानिक तौर पर मृतको को पक्षकार बनाते हुए गलत तौर पर जाति परिवर्तन हेतु उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश पारित करवाया है जबकि ढोली जाति अनुसूचित जाति है एवं जाचक अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है जिसमें परिवर्तित करने का अधिनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट्स व उनके पूर्वज सदैव से ढोली जाति के होकर अनुसूचित जाति वर्ग में आते है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश से जाति परिवर्तित होने की स्थिति में उनके समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो जायेगी तथा प्रार्थीगण उक्त आदेश से पूर्णतया व्यथित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना आवश्यक है।

अभिभाषक अपीलान्ट की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिक प्रक्रिया अपनाकर संबंधित आराजियात के खातेदारों की जीवित वारिसानों के व्यक्तिगत शपथ पत्रों, सक्षम दस्तावेजों व स्थानीय पटवारी व पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर अपेक्षित विधिक प्रक्रिया अपनाकर एक ही जाति जाचक (भाट) होने के पर्याप्त साक्ष्य रिपोर्ट तस्दीक करने के पश्चात ही निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है जिसे चुनौती

नहीं दी जा सकती। अतः अपीलांट द्वारा धारा 96 जा0दी0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलांट्स जो कि मृतक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 गंभीरा पुत्र जोरा के पुत्र छोटू के पुत्र है तथा अपने पूर्वजों के समय से ही उनकी जाति ढोली है तथा वर्तमान में भी वह ढोली जाति के होकर अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। उनके व उनके पूर्वजों द्वारा कभी भी जाति परिवर्तन हेतु कोई आवेदन नहीं किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बादामी व पृथ्वीराज ने अवैधानिक तौर पर मृतको को पक्षकार बनाते हुए गलत तौर पर जाति परिवर्तन हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आदेश पारित करवाया है जबकि ढोली जाति अनुसूचित जाति है एवं जाचक अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है जिसे परिवर्तित करने का अधिनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट्स को सर्वप्रथम जानकारी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा जाति परिवर्तन की आड़ में प्रश्नगत भूमि का विक्रय गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को करने व उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने पर हुई। अपीलांट्स का विवादग्रस्त भूमि में उनके पूर्वजों के समय से हक व अधिकार व हिस्सा निहित चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा में प्रावधित प्रावधानों को पूर्णतया दरकिनार करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायलय ने इस बिन्दू को भी नजरअन्दाज करदिया कि उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदनकर्ता अन्ना, गंभीरा, कालू, गोरधन, मोहन सभी मृतक व्यक्ति है जिनके द्वारा एवं जिनके नाम पर कानूनन कोई भी आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है एवं ना ही ऐसे मृतक व्यक्तियों के नाम से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का कोई आदेश ही पारित किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त संबंध में किसी प्रकार की जांच किये बिना केवल मात्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को लाभ पहुचाने की नियत से सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र में मात्र लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है ना कि किसी खातेदार की जाति को परिवर्तित करते हुए अनुसूचित जाति से गैर अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायलय ने धारा 136 के प्रावधानों को पूर्णतया दरकिनार करते हुए एवं अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर धारा 136 के तहत खातेदार की जाति अनुसूचित जाति

से गैर अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग में घोषित करने का आदेश पारित किया है जो पूर्णतया विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने जिस मौका रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात के आधार पर उनके द्वारा जाति परिवर्तित की गई है वह सभी पूर्णतया फर्जी तौर पर तैयार किये गये है। तथाकथित मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार की दिनांक अंकित नहीं है तथा ग्राम पंचायत छछुन्दरा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भी मात्र आदेश से 10 दिन पूर्व तैयार किया गया है जबकि इसके विपरीत सम्वत 2012 से चले आ रहे राजस्व रेकार्ड में रेस्पोन्डेन्ट्स व उनके पूर्वजों की जाति ढोली ही अंकित है एवं अनुसूचित जाति में दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 396 जिसमें गोरधन पिता करमा ढोली की मृत्यु होने पर उनके वारिसान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की जाति ढोली अंकित है। तत्समय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिये थे कि अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण व विवाद संबंधी जांच के पश्चात नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद बाबत कार्यवाही करे। तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वह न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करते किन्तु उनके द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को लाभ पहुंचाने की नियत से बिना किसी जांच किये दिनांक 28–10–2016 को ही तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 738 दर्ज करते हुए रेस्पोन्डेन्ट की जाति परिवर्तित कर जाचक दर्ज कर दी गई जो कि पूर्णतया विधिविरूद्ध होने से पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को भी नजर अन्दाज कर दिया कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही में ना तो किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण किया जा सकता है एवं ना ही कोई जाति परिवर्तित की जा सकती है। परन्तु उक्त प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष आवेदनकर्ता बरवक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से ही ढोली जाति के व्यक्ति होकर अनुसूचित जाति वर्ग में आते है जिनके द्वारा कानूनन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अन्य जाति के व्यक्ति को भूमि विक्रय किये जाने पर पाबन्दी है। ऐसी स्थिति में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जाति परिवर्तित कर उसे ओबीसी जाति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सभी पूर्णतया एक साजिश के तहत तैयार किये गये है जिसके आधार पर किसी भी स्थिति में जाति का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही में अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स व अपीलांट्स की जाति को परिवर्तित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड

अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–6–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर संबंधित आराजियात के खातेदारों के जीवित वारिसानों के व्यक्तिगत शपथ पत्रों, सक्षम दस्तावेजों व स्थानीय पटवारी पंचायत की रिपोर्ट के आधार पर अपेक्षित विधिक प्रक्रिया अपनाकर ही जाति जाचक (भाट) होने के पर्याप्त साक्ष्य रिपोर्ट तस्दीक के पश्चात ही निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत है जिसे अपीलांट द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र मात्र सामान्य प्रकृति का प्रार्थना पत्र है (जिसमें सहवन से त्रुटिवश कुछ मृतकों के नाम प्रार्थी के रूप में अंकित हो गये) जो अपीलांट की सहमति व सम्मति से मृतक खातेदार अन्ना के वारिसान पुत्रगण क्रमशः गोपीलाल व भंवर लाल (जाति जाचक) द्वारा तैयार कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर भी करवाये व अपीलांट द्वारा भी अन्ना के वारिसानों को हस्ताक्षर करने का आश्वासन दिये जाने पर प्रस्तुतकिया किन्तु अपीलांट संख्या 1 व 2 जिसमें अपीलांट संख्या 2 जो उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित ढोली जाति के आधार पर प्रमाण पत्र द्वारा अपने सरकारी नौकरी में अविधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने जाति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने में टालमटोल करता रहा किन्तु इसने व इसके परिवारजन ने जाति परिवर्तन से कभी कोई इन्कार भी नहीं किया। स्वयं अपीलांट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने समस्त प्रारम्भिक शैक्षणिक रिकार्ड में भी जाचक भाट जाति (ओबीसी) वर्ग का ही अंकन किया गया है किन्तु इनके द्वारा गलत एस.सी. वर्ग का अविधिक लाभ प्राप्त करने के कारण अपीलांट व इनके पिता श्री छोटू पुत्र गम्भीरा ने भी अपने जीवनकाल में अपनी आराजियात की भी विरासत नहीं खुलवाई जो स्वयं इनके जाचक जाति होने की तस्दीक करता।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलांट का कथन कि माननीय न्यायालय को गुमराज कर इनके द्वारा अपने पक्ष में अवांछित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हस्तगत अपील में अंकित कथन किया गया है कि इनको उक्त आदेश की जानकारी 14–6–2017 को नकल प्राप्ति से हुई जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट संख्या 1 शिवलाल ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 जाचक जाति मानकर सहित अन्य पांच व्यक्तियों के विरूद्ध प्रश्नगत आराजियात में से कुछ के विरूद्ध एक फौजदारी प्रकरण धारा 156 (3) सी.आर.पी.सी. जरिये इस्तगासा पुलिस थाना भिनाय जिला अजमेर में दर्ज करवायी जिसकी प्रथम सूचना संख्या 128/17 दर्ज होकर मुकदमा आज भी जेरे अनुसंधान है जिसमें अपीलांट संख्या 1 शिवलाल द्वारा उक्त परिवाद के चरण संख्या 5 में संबंधित आदेश एवं आराजी के विक्रय बाबत सम्पूर्ण जानकारी अपने परिवार सहित होना सर्वप्रथम 24.4.2017 को होना अंकित किया है। अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन में जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने की मंशा से अपने पक्ष में लाभ

लेने के दुराश्य से माननीय न्यायालय को गलत व झूठा सूचित किया कि उन्हें दिनांक 14–6–2017 की नकल प्राप्ति से जानकारी हुई। इसे विपरीत प्रकरण मुकदमा संख्या 128/17 में परिवाद शिवलाल द्वारा मामले की सम्पूर्ण जानकारी दिनांक 24–4–2017 को होना स्वीकार किया है। अपीलांट द्वारा देरी से अपील प्रस्तुत करने का भी कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त कथनों को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–06–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जावे एवं अपीलांट्स की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की लिखित बहस एवं मौखिक बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा ग्राम पंचायत सोबड़ी शिविर में उभ्यपक्षकारान को सुनकर पटवारी हलका की रिपोर्ट व तहसीलदार भिनाय की जांच अनुसार ग्राम सेदरिया की जमाबंदी खाता संख्या 124 किता 9 रकबा 2.62 है0 में प्रार्थीगण की जाति जाचक अंकित होने एवं प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम सेदरिया की जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 4, 5, 6, 7 में अंकित जाति ढोली के स्थान पर जाचक अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की है। पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हलका सरगांव द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी हलका द्वारा मौका रिपोर्ट कब तैयार की गई मौका रिपोर्ट में दिनांक का अंकन नहीं है तथा ग्राम पंचायत छछुन्दरा द्वारा दिनांक 16–6–2016 को जारी प्रमाण पत्र भी अधिनस्थ न्यायलय द्वारा जारी आदेश से मात्र 10 दिवस पूर्व ही जारी किया गया है, जो सन्देहास्पद प्रतीत होता है। जबकि इसके विपरीत सम्वत 2012 से चले आ रहे राजस्व रेकार्ड में रेस्पोन्डेन्ट्स व उनके पूर्वजों की जाति ढोली ही अंकित है एवं अनुसूचित जाति में दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 396 जिसमें गोरधन पिता करमा ढोली की मृत्यु होने पर उनके वारिसान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की जाति ढोली अंकित है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 42 के प्रावधान अनुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्य/ व्यक्ति की भूमि का अन्तरण ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति /जन जाति का सदस्य नहीं है, चाहे ऐसा स्वीकृति के आधार पर ही हुआ हो, अविधिपूर्ण है। जबकि उक्त प्रकरण में विवादग्रस्त आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा रामसुख पुत्र सोदान कौम गुर्जर को बेचान की गई है जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत छछुन्दरा पंचायत समिति भिनाय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 755 दिनांक 5–5–2017 द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा स्वीकार किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि अनुसूचित जाति की जमीन सवर्ण जाति को बेचान नहीं की जा सकती है। इसके अलावा धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के

अन्तर्गत कार्यवाही का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय द्वारा जमाबंदी सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 4, 5, 6, 7 में अंकित जाति ढोली के स्थान पर जाचक अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की है जबकि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–6–2016 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा राजस्व केम्प सोबड़ी में पारित निर्णय दिनांक 25–6–2016 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 02/2016 बउनवान श्री अन्ना पुत्र काना व अन्य बनाम राज0 सरकार विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर